# बिहार सरकार

# वित्त (अंकेक्षण) विभग

# बिहार ,पटना

**अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 :– 104/09–10**

**कंडिका :–1**

**परिचयात्मक :–**

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम :– 05, बिहार बटालियन,एन0 सी0 सी0, भोजपुर, आरा।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि :– वर्ष 2001–02 से 04–05 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम :– शिक्षा, खेल ,कला एवं संस्कृती विभाग,बिहार पटना। (ध) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं कार्यकालः– अनुपलब्ध।

(ड) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियो ,एवं कर्मचारियों का नाम,पदनाम तथा कार्यकाल।

1. श्री ओ0 एस0 ग्रेवाल,समादेष्टा,01.04.01 से 03.01.02 तक।
2. श्री भी0 के0 एस0 मल्लीक ,समादेष्टा, 04.10.02 से 25.11.02 तक।
3. श्री ए0 के0 हुसैन,समादेष्टा,26.11.02 से 21.12.02 तक।
4. श्री आर0 सप्रे0 समादेष्टा, 22.12.02 से 05.01.03 तक।
5. श्री भी0 के0 एस0 मल्लीक समादेष्टा,06.01.03 से 28.03.03 तक।
6. श्री आर0 पी0 राय, समादेष्टा, 29.03.03 से 12.05.03 तक।
7. श्री भी0 के0 एस0 ,मल्लीक समादेष्टा, 13.05.03 से 07.07.03 तक।
8. श्री भरत सिंह समादेष्टा, 08.07.03 से 23.10.03 तक।
9. श्री आर0 पी0 राय, समादेष्टा, 24.10.03 से 14.11.03 तक।
10. श्री भी0 के0 छीब्बर ,समादेष्टा , 15.11.03 से 29.07.04 तक।
11. श्री भरत सिंह ,समादेष्टा, 30.07.04 से 29.08.04 तक।
12. श्री भी0 के0 छीब्वर, समादेष्टा, 30.08.04 से 06.11.04 तक।
13. श्री आर0 पी0 राय, समादेष्टा , 07.11.04 से 16.11.04 तक।
14. श्री भरत सिंह ,समादेष्टा ,17.11.04 से 15.01.05 तक।
15. श्री एन0 के0 सिंह, समादेष्ट, 16.01.05 से 24.01.05 तक।
16. श्री आर0 के0 दीक्षित, समादेष्ट, 25.01.05 से 20.02.05 तक।
17. श्री भी0 के0 छीब्बर, समादेष्ट 21.02.05 से 31.03.05 तक।

**कर्मचारी का नाम :–** श्री रामचन्द्र प्रसाद प्रभारी ,लेखा लिपिक,दि0 –01.04.01 से 21.04.05 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :–

श्री रामईश्वर राम, प्रधानलिपिक

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम :–

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह ,व0 अं0 –2

(2) श्री सुरेश प्रसाद ठाकुर ,व0 अं0 –2

(3) श्री मो0 बसीरूद्दीन, व0 अं0 –2

(ज) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि :– दिनांक 16.07.09

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि :– दिनांक 30.10.09

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :– 37 2/3 (37.67) दिन। (आंबटित कार्यदिवस 10X4=40 (दिन )

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखो की सूची :– परिशिष्ट ''क'' पर संलगन है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

वित्त(अंकेक्षण) विभाग द्वारा इस लेखा का वर्ष 01–02 से वर्ष 04–05 तक का अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक –3286,दिनांक –15.09.60 में निहित अनुदेशों के अनुसार अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखो के आधार पर संपन किया गया।

कोषागार से निकासी तथा उसमें दर्शित जमा राशियों का सत्यापन जिला कोषागार,आरा के अभिलेखो से शत प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

कार्यालय द्वारा पूर्व के महालेखाकार एवं वित्त (अंकेक्षण) विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन कर अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। फलस्वरूप पुराने प्रतिवेदनों का जाँच एवं सत्यापन कार्य नही हो सका।

**(ड़) <u>वित्तीय परिशंसा</u> :–**

अंकेक्षित अवधि वर्ष 2001–02 से 04–05 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' में उल्लिखित हैं। इस कार्यालय के आय का मुख्य श्रोत सरकार से प्राप्त आवंटन था। कार्यालय द्वारा सरकार से प्राप्त आंवटन से अधिक व्यय किया हुआ नहीं पाया गया। जुनियर डिभीजन आवंटन एवं व्यय विवरण वर्ष 01–02 एवं 02–03 में पेट्रोल एवं कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि में से क्रमशः 12,000/=एवं 20,000/=तथा 14,000/=रू0 को लैप्स दिखाया गया था जो नियम विरूद्ध हैं। इस राशि को वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही व्यय नही होने की स्थिती में प्रशासी विभाग को प्रत्यापित किया जाना

चाहिए था। वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथी को संबंरण शेष के रूप में रोकड़पुस्त में राशि का जमाव काफी पाया गया जो बिहार कोषागार संहिता भाग –1 के नियम 300 एवं वित्त विभागीय ज्ञापांक ए 3–101/73/10383 वित्त दि0 28.09.1974 (i) सं0 (iii) निर्देश के प्रतिकूल है। अतः विभागीय उच्चधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों का पालन भविष्य में कड़ाई से पालन कराया जाय।

एन0 सी0 सी0 कैडरों (छात्रों) को परेड के समय जलपान को आपूर्त्ति की गयी थी किंतु कितने छात्रों द्वारा किस तिथि को परेड कराया गया, उससे संबंधित उपस्थिति पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जिससे वास्तविक व्यय का आकलन नहीं हों सका अतः भविष्य में उपस्थिति पुस्तिका का संधारण करते हुए भविष्य में इसका अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

कार्यालय द्वारा मनी रसीद के द्वारा प्राप्ति दिखाया गया था लेकिन मनी रसीद का भंडारपुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका अनुपालन भविष्य में दृढ़ता से किया जाय।

**(ढ) (i) <u>भौतिक सत्यापन</u> :–**

विभागीय पत्रांक –503 वि0 अंकेक्षण पटना वि0 –29–01–76 में निहित निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि दि0 16–07–09 को रोकड़ पुस्त के संबंरण शेष का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया गया एवं निम्नरूपेण पाया गया। तत्संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र भी अंकित कर दिया गया (जो इस प्रकार है।)

विवरणी :–

16.07.09 से 15.07.09 का संवरण शेष –1760=00

भा0 स्टेट बैंक आरा–चालू खाता सं0 –11174355125 में –1760=00

हाथ में रोकड़ –शून्य

विपत्र के अनुसार रोकड़ – (i) आक0 मद – 690=00

(ii) वि0 सं0 94/06.03.09 – 398=00

(iii) वि0 सं0 95/06.03.09 – 672=00

योग – 1760=00

(ii) अंकेक्षणान्र्गत लेखावधि के रोकड़ पुस्त के क्रमशः प्रारभ्भण रोकड़ एवं संवरण रोकड़ का वार्षिक व्यौरा :–वर्ष 01–02 से 04–05 तक

| दिनांक | प्रा0 शेष | दिनांक | संवरण शेष | अभि0 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01—04—01 | 33,221=50 | 31.03.02 | 79,111=50 | 01—02 |
| 01—04—02 | 79,111=50 | 31.03.03 | 61,031=50 | 02—03 |
| 01—04—03 | 61,031=50 | 31.03.04 | 29,344=50 | 03—04 |
| 01—04—04 | 29,344=50 | 31.03.05 | 95,049=00 | 04—05 |

(iii) अंकेक्षणाधीन कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बल का व्यौरा — इस कार्यालय में कर्मचारियों के लिए स्वीकृत बल का विवरण निम्न प्रकारेण अंकेक्षण में संसूचित की गई हैं जो निम्नरूपेण दर्शायी गई है—

| क्रमांक | पदनाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्त बल | अभियुक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | प्रधान लिपिक | 01 | 01 | शून्य | सिमिलियन कर्मचारीगण |
| 02 | लिपिक | 08 | 03 | 05 | |
| 03 | चालक | 02 | 01 | 01 | |
| 04 | लसकर | 10 | 09 | 01 | |
| 05 | चौकीदार | 02 | 02 | शून्य | |
| 06 | पिऊन | 01 | शून्य | 01 | |
| 07 | स्वीपर | 01 | 01 | शून्य | |

## भाग —1

### (2) सर्विस पोस्टेज स्टाम्प मद में व्यय राशि रू0 500=00 का दुर्विनियोग :—

कार्यालय आकस्मिकता मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि वि0 सं0 —एस0 डी0 /96 दि0 21.12.01 द्वारा निकासीकर अभि0 सं0—पोल —10 दि0 21.12.01 एवं उपाभिश्रव सं0 —107/08.11.01 द्वारा सर्विस पोस्टेज स्टाम्प के रूप में पोस्टमास्टर प्रघान डाकधर आरा द्वारा रू0 500=00 का स्टाम्प आपूत्ति की हुई पायी गयी एवं रोकड़ पुस्त में दि0 11.01.02 को व्यय दिखाया गया परंतु सर्विस पोस्टेज स्टाम्प भंडार पंजी के पृष्ट सं0 79 पर आय पक्ष में प्रविष्टी की हुई नही पाई गई और न इस आर्पूत्तित स्टाम्प का कोई लेखा—जोख वर्ष 04—05 तक पाई गई। इस प्रकार सर्विस पो0 स्टाम्प राशि रू0 500=00 का दुर्विनियोग किया हुआ पाया गया।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में बताया गया कि संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से पूछकर वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जायगा।

अतः संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से दुर्विनियोग की राशि रू0 500=00 वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय साथ ही संबंधित दोषी व्यक्ति पर विभागीय कारवाई की जाय एवं इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभग, बिहार पटना को दिया जाय।

**(3) बाहरी गाड़ियों के परिचालन पर इंधनमद में व्यय राशि रू0 21798=75 का संभावित दुर्विनियोग :–**

वर्ष 01–02 से 04–05 में पोल (इंधन मद) के विभिन्न आकस्मिक अभिश्रवों के जाँचक्रम में ज्ञात हुआ कि सक्षम पदाधिकारियों के स्वीकृनयदेश लिए बिना ही इस कार्यालय में परिचालित गाड़ियों से परे बाहरी स्थापना (ग्रूप हेड क्वाट्रर गया) से संबंधित गाड़ियों को इस कार्यालय के आकस्मिकता मद से निकासी कर इंधन में विभिन्न अभिश्रवों के माध्यम से एक भारी राशि कुल रू0 21798=75 का भुगतान विभिन्न तिथियों को किया गया था जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है–

| क्रमांक | वि0सं0 / तिथी | अभि0 सं0 | एस0 भी0सं0 | मद | मत्रा | दर | भुगतीत राशि | व्यय तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | एस0डी0 / 145 20.03.02 | पोल / 12 31.03.02 | 46 / 05.1.2 | पेट्रोल | 15 ली0 | 29.94 | 449=10 | 31. 03.02 | |
| 02 | एस0डी0 / 113 22.01.04 | पोल / 11 19.03.04 | 41 / 19.01.04 | डीजल | 300 लि0 | 23.31 | 6993 =00 | 19. 03.04 | |
| 03 | एस0डी0 / 165 30.03.02 | पोल / 01 05.04.02 | 59 / 23.03.02 | पेट्रोल | 200 ली0 | 27.52 | 5504 =00 | 05. 04.02 | |
| 04 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 02 / 01.03.02 | डीजल | 30 ली0 | 17.42 | 522 =60 | 25. 11.02 | |
| 05 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 04 / 20.10.02 | डीजल | 10 ली0 | 20.59 | 205 =90 | 25. 11.02 | |
| 06 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 06 / 21.10.02 | डीजल | 45 ली0 | 20.52 | 926 =55 | 25. 11.02 | |
| 07 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 07 / 21.10.02 | मोबील | 01 ली0 | 95.00 | 95=00 | 25. 11.02 | |
| 08 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 08 / 21.10.02 | डीजल | 15 ली0 | 20.52 | 307 =80 | 25. 11.02 | |
| 09 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 10 / 07.10.02 | डीजल | 70 ली0 | 20.20 | 1414 =00 | 25. 11.02 | |
| 10 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 12 / 05.10.02 | डीजल | 50 ली0 | 20.32 | 1016 =00 | 25. 11.02 | |
| 11 | जे0डी0 / 80 13.11.02 | पोल / 06 25.11.02 | 14 / 05.10.02 | डीजल | 30 ली0 | 20.58 | 617 =30 | 25. 11.02 | |
| 12 | जे0डी0 / 43 05.10.04 | पोल / 07 23.11.04 | 05 / 01.08.04 | डीजल | 50 ली0 | 25.99 | 1299 =50 | 23. 11.04 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | जे0डी0 / 43 05.10.04 | पोल / 07 23.11.04 | 02 / 30.07.04 | डीजल | 50 ली0 | 24.48 | 1224 =00 | 23. 11.04 | |
| 14 | जे0डी0 / 43 05.10.04 | पोल / 07 23.11.04 | 01 / 30.07.04 | डीजल | 50 ली0 | 24.48 | 1224 =00 | 23. 11.04 | |

कुल– 21798=75

इस कार्यालय के लिए तेल मद में आवंटित राशि से दुसरे स्थापना से संबंधित गाड़ियों के लिय इंधन मद में व्यय के लिए सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृत्यादेश लेकर ही व्यय करना चाहिए था परंतु अंकेक्षण में इसे उपलब्ध नही कराया गया जो कि बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 8 एवं 11 तथा 305,305 ए0 के विपरीत है इस कार्यालय के लिए आंवटित राशि से परे बाहरी स्थापना में परिचालित गाड़ियों के इंधन मद में बिना समक्ष पदाधिकारी की स्वीकृती एवं अनुमती प्राप्त किये ही इस कार्यालय को प्राप्त आंवटन से बाहरी स्थापना की गाड़ीयों पर इंधन मद में कुल रू0 21,765=85 का व्यय दिखाया जाना संभावित दुर्विनियोग है। क्योकि इन गाड़ियो का लॉंगबुक ,इतिहास पंजी भी इस कार्यालय में संधारित नही था।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में बताया गया कि उक्त गाड़ियों का लॉंगबुक अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान संभावित दुर्विनियोगित राशि रू0 21798=75 के संबंध में आकृष्ट किया जाता है कि इसकी जॉंच कर ली जाय अगर किसी प्रकार की अनियमितता दुर्विनियोग के संबंध में परिलक्षित हो तो दोषी व्यक्ति पर नियमानुसार कारवाई करते हुए दुर्विनियोगित व्यय को संबंधित दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को भी दी जाय।

**(4) आवास भत्ता मद में अधिक भुगतीत राशि रू0 1948=00 वसूली योग्य :–**

सीनियर डीवीजन,वर्ष 03–04 के वेतन भुगतान पंजी की जॉंच में पाया गया कि श्री जगदीश पंडित,प्रधान लिपिक ,01,बिहार गर्ल्स बटालियन ,एन0 सी0 सी0 कार्यालय पटना से स्थानांतरित होने के पश्चात् इस कार्यालय में दि0 01.04.03 को योगदान किया था इन्हे पटना में देय आवास भत्ता ही अप्रैल –03 से सितम्बर 03 तक कुल छः माह तक भुगतान किया हुआ पाया गया जबकि बिहार मकान किराया भत्ता नियमावली के नियम –05(viii) (1) के अनुसार मात्र दो माह तक ही पूर्व के स्थान का आवास भत्ता ही देय होगा।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में सूचित किया गया कि संबंधित व्यक्ति से वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः आवास भत्ता के रूप में नियम विरूद्ध अनुमान्य राशि से अधिक भुगतान की गई राशि रू0 1948=00 (माह जून 03 से सित0 03 तक ) संबंधित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाय।

**विवरण निम्न प्रकार हैः–**

| क्रमांक | वि0 सं0 /वर्ष | माह | मूल वेतन | भुगतीत आवास भत्ता की राशि | देय राशि | अंतर वसूली योग्य राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एस0डी0 12/03–04 | अप्रैल 03 | 6500 रू0 | 975=00 | 975=00 | – | 03.05.03 |
| 2 | एस0डी0 16/03–04 | मई 03 | 6500 रू0 | 975=00 | 975=00 | – | 03.06.03 |
| 3 | एस0डी0 18/03–04 | जून 03 | 6500 रू0 | 975=00 | 488=00 | 487=00 | 01.07.03 |
| 4 | एस0डी0 36/03–04 | जुलाई 03 | 6500 रू0 | 975=00 | 488=00 | 487=00 | 06.09.03 |
| 5 | एस0डी0 50/03–04 | अगस्त 03 | 6500 रू0 | 975=00 | 488=00 | 487=00 | 06.09.03 |
| 6 | एस0डी0 58/03–04 | सितम्बर 03 | 6500 रू0 | 975=00 | 488=00 | 487=00 | 29.09.03 |

योग्य – 1948=00

**(5) इंधन मद में अधिक भुगतीत राशि रू0 160=40 वसूली योग्य :–**

पोल अभिश्रवों (वर्ष 03–04) के जाँचक्रम में पाया गया कि विपत्र सं0–एस0 डी0 /125 दि0 03.02.04 एवं अभिश्रव पोल /09 दि0 20.02.04 के उपाभिश्रव सं0 –42/22.01.04 में जेनरेटर हेतु डीजल 3.5 ली0 का क्रय नियोगी एण्ड कंपनी आरा से किया गया जिसमें प्रति ली0 23. 31 पै0 की दर से वास्तविक भुगतेय राशि रू0 81=59 पै0 होना चाहिए था जबकि उपभिश्रव पर 242=00 पारित कर दि0 20.02.04 को भुगतान किया हुआ पाया गया। इस तरह वास्तविक राशि 81=59 के बदले 242=00 किया गया फलस्वरूप वास्तविक देय राशि से अधिक राशि रू0 160=41 भुगतान (242–81.59=160=41) किया हुआ पाया गया।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपती के आलोक में सूचित किया गया कि संबंधित उतरदायी व्यक्ति पर आवश्यक करवाई की जायगी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि संबंधित व्यक्ति से वास्तविक राशि से अधिक भुगत्तीत राशि रू0 160=40 की वसूली कर ली जाय तथा कोषागार में जमा कराया जाय प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाय।

**(6) आकस्मिकता मद में योग की गणना की त्रुटी के कारण अनियमित भुगतीत राशि रू0 27=00 वसूली योग्य :-**

कार्यालय आकस्मिकता मद के अभिश्रवों के जाँचक्रम में पाया गया कि उपाभिश्रव सं0 57 से 64 तक में निहित राशि रू0 क्रमशः 20.00+129.45+129.50+129.50+28.00+103.55+53.00+51.75 = कुल से 644=75 पाया गया। वि0 सं0 -जे0डी0 /32 दि012.09.04 द्वारा रू0 671=75 की निकासी हुई तथा अभि0 सं0 पी0 भी0 /07 दि0 24.09.04 के गलत गणना के कारण राशि रू0 671=75 का भुगतान दि0 24.09.04 को किया हुआ पाया गया। इसतरह उक्त अभिश्रवों पर अंकित कुल राशि रू0 644=75 के बदले त्रुटी पूर्ण गणना के कारण राशि रू0 671=75 का भुगतान दिखाया गया फलस्वरू॰ आकस्मिकता मद में कुल रू0 27=00 (671=75-644=75) का अधिक भुगतान किया हुआ पाया गया।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में बताया गया कि गणना की त्रुटी पर भविष्य मे विशेषरूप से ध्यान दिया जायगा।

अतः आकस्मिकता मद में वास्तविक राशि से अधिक व्यय राशि रू0 27=00 संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग,बिहार ,पटना को दी जाय।

**(7) कार्यालय आकस्मिकता मद में गणना की मुल के कारण वास्तविक राशि से अधिक राशि का भुगतान रू0 180=00 वसूली योग्य :-**

कार्यालय आकस्मिक अभिश्रवों से अन्य अभिलेखों के साथ जाँचक्रम में पाया गया कि वि0 सं0 एस0 डी0 /145 दि0 26.03.03,पी0 भी0 सं0 15/दि0 08.04.03 एवं उपाभि0 सं0 -218/11.03.03 तथा 219/12.03.03 से विश्वास स्टेशनरी आरा से कार्यालय उपयोग हेतु क्रमशः एक-एक पाँकेट वाँलपेन की खरीद की गई जिसका प्रति पाँकेट दर 10/= अंकित था,इसप्रकार दो पाँकेट वाँलपेन का वास्तविक मूल्य रू0 20=00 होता है। जबकि उक्त दोनो अभिश्रवों पर क्रमशः 100/=+100=कुल रू0 200/= अंकित राशि पारित कर भुगतान किया हुआ पाया गया। इसप्रकार वास्तविक भुगतान योग्य राशि 20/= के बदले 200/= का भुगतान किया गया। फलस्वरूप आकस्मिकता मद में वास्तविक देय राशि से अधिक राशि रू0 180=00 (200.00-20.00=180.00) का अधिक भुगतान किया हुआ पाया गया।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में बताया गया कि भविष्य में गणना पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

अतः गणना की गलती के कारण वास्तविक देय राशि से अधिक भुगतीत राशि रू0 180=00 संबंधित दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

**(8) कार्यालय आकस्मिकता मद में अनियमित भुगतीत राशि रू0 130=00 वसूली योग्य :-**

आकस्मिक अभिश्रव सं0 –पी0 भी0 –15 दि0 14.03.05, के जाँच क्रम में पाया गया कि वि0 सं0 जे0 डी0 98 दि0 01.03.05 अन्तर्गत उपाभिश्रव सं0 –153 दि0 22.05.05 द्वारा एक सी0 एफ0 एल हैलोजिन केश बल्ब एक अदद् को खरीद की गई जिसका भुगतान दि0 14.03.05 को राजदूरभाष आरा को कुल रू0 130=00 किया हुआ पाया गया।

उपभिश्रव सं0 153 दि0 22.05.05 से स्पष्ट हुआ कि उक्त सामग्री का क्रयवित्तीय वर्ष 05–06 में किया गया था किंतु इसका भुगतान वित्तिय वर्ष 04–05 में हो दि0 14.03.05 को किया गया जो नियम विरूद्ध है। इस सामग्री का भंडार प्रविष्टी भी वर्ष 04–05 में नही पाया गया।

अतः कार्यालय आकस्मिकता मद में भुगतीत कुल अनियमित राशि रू0 130=00 संबंधित उतरदायी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को दी जाय।

**(9) दूरभाष विलम्ब दंड शुल्क रू0 330=00 का भुगतान क्षति :–**

वित्तीय वर्ष 01–02 से 04–05, दूरभाष से संबंधित अभिश्रवों के जाँच में पाया गयो कि कार्यालय दूरभाष सं0 –24364 के दूरभाष विपत्रों को अंतिम जमा तिथि के बाद उपबंध उपलब्ध रहते हुए बिलंब दंड शुलक सहित निम्न प्रकार से दूरभाषविपत्रों को जमा किया गया।

**विवरण निम्न प्रकार है। :–**

| क्रंमाक | वि0 सं0 / तिथि | अभि0 सं0 / तिथि | भुग0 तिथि | अंतिम जमा तिथि | दंड शुल्क | विपत्रो की कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | एस0 डी0 52 / 05.09.02 | टेली–01 / 12.08.02 | 12.08.02 | 7.05.02 | 20=00 | 972=00 |
| 02 | एस0 डी0 52 / 05.09.02 | टेली–02 / 18.09.02 | 18.09.02 | 16.07.02 | 40=00 | 1077=00 |
| 03 | एस0 डी0 125 / 31.01.03 | टेली–04 / 02.02.03 | 20.02.03 | 07.12.02 | 40=00 | 1169=00 |
| 04 | एस0 डी0 126 / 31.01.03 | टेली–05 / 18.03.03 | 18.03.03 | 25.01.03 | 20=00 | 672=00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | एस0 डी0 34 / 07.08.03 | टेली–01 / 15.07.07 | 15.07.03 | 07.06.03 | 20=00 | 776=00 |
| 06 | एस0 डी0 31 / 10.09.04 | टेली–02 / 29.09.04 | 24.09.04 | 27.08.04 | 20=00 | 259=00 |
| 07 | एस0 डी0 91 / 15.02.05 | टेली–03 / 05.03.05 | 05.03.05 | 08.02.05 | 70=00 | 2893=00 |
| 08 | एस0 डी0 95 / 20.02.05 | टेली–04 / 05.03.03 | 05.03.05 | 31.12.04 | 100=00 | 4095=00 |

कुल योग – 330=00

दूरभाषमद में आवंटन रहते हुए अंतिम जमा तिथि के बाद दूरभाष विपत्रों को विलंब दंड शुक्ल सहित जमा किया जाना सरकारी राशि की क्षति हुई उपर्युक्त विपत्रों के विलंब दंड शुक्ल की कुल राशि रू0 330=00 निहित है। स्पष्टतः विलम्ब दण्ड शुक्ल जमा किया जाना अनियमित है। अतः जमा विलम्ब शुक्ल की राशि रू0 330=00संबंधित दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति पर क्षति की पूर्ति के लिए आवश्यक कारवाई कर सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को दी जाय।

**(10) दैनिक यात्राभता मद में अनियमित भुगत्तीत राशि रू0 220=00 वसूली योग्य :–**

(क) यात्रा भत्ता कार्यालय प्रति (वर्ष 01–02 से 04–05 तक) से संबंधित अभिलेखों के द्वारा जाँचक्रम में पाया गया कि वि0 सं0 एस0 डी0 –135 / वर्ष 01–02 द्वारा श्री सीताराम सिंह,जीपचालक को 10.04.01 को आरा से गया की यात्रा के लिए पटना के लिए निधार्रित दर 110 /= दैनिक भत्ता के रूप में इन्हे राशि रू0 110=00 का भुगतान दि0 31.03.02 को किया हुआ पाया गया। जबकि इनका मूलवेतन 4100 /= पर गया के लिए निर्धारित दर प्रतिफल 90=00 होना चाहिए था। इस प्रकार देय राशि 90=00 के बदले इन्हें 110=00 का भुगतान किया गया जो नियम विरूद्ध है। अतः दैनिक भत्ता में मान्य दर से अधिक भुगतीत राशि रू0 20=00 (110–90=20.00) वसूली योग्य है।

(ख) पुनः श्री सीताराम सिंह,चालक को दि0 04.09.03 को आरा से दानापुर की यात्रा के लिए पटना के लिए देय दैनिक भत्ता 110=00 रू0 का भुगतान दि0 01.01.04 को किया गया है जबकि इनके मूलवेतन 5115=00 पर दानापुर के लिए 90=00 रू0 दैनिक भत्ता ही देय था।

इस प्रकार मान्य दैनिक भत्ता दर से अधिक दर पर भुगत्तीत राशि रू0 20=00 (110–90=20.00) इनसे वसूली योग्य है।

(ग) पुनः सीताराम सिंह,चालक आरा से गाड़ी की मरम्मती के लिए दि0 16.01.04 से 24.01.04 तक दानापुर में दैनिक विश्राम किया गया है। इसके लिए इन्हें कुल 880=00 का भुगतान (110.00X8 दिन =880.00) दैनिक भत्ता के रूप में दि0 31.03.04 को किया गया था। जबकि इनका मूलवेतन 5115=00 पर देय दैनिक भत्ता दर 90/= होना चाहिए या इसप्रकार इन्हे दैनिक भत्ता के रूप में मान्य देय राशि से अधिक राशि रू0 160=00 (880/=–720/=) का भुगतान किया हुआ पाया गया जो वसूली योग्य है।

(ध) पुनः श्री निर्मल कुमार पाण्डेय,चालक को आरा से दि0 23.10.03 को दानापुर की यात्रा के लिए 110=00 दैनिक भत्ता का भुगतान दि0 01.01.04 को किया गया है। इनके मुल वेतन 4815/= पर इन्हें मान्य दैनिक भत्ता दर 90/= होना चाहिए था। इसप्रकार इन्हे मान्य दर से अधिक रू0 20=00(110–90=20.00) का भुगतान किया गया जो वसूली योग्य हैं।

इस प्रकार श्री सीताराम सिंह,चालक (क,ख,ग) से 20+20/160 = कुल 200=00 एवं श्री निर्मल कुमार पाण्डय ,चालक (ध) से रू0 20=00 वसूली योग्य होगा। इसप्रकार दैनिक यात्रा भत्ता में कुल भुगतीत राशि (क+ख+ग+ध) रू0 220=00 का अनियमित भुगतीत उपरोक्त व्यक्तियों से वसूली योग्य है।

अतः ऊपर वर्णित व्यक्तियों से दैनिक भत्ता के रूप में अनियमिता भुगतीत कुल राशि रू0 220=00 वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय तथा प्रतीफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

## 11. यात्राा भत्ता अग्रिम की राशि रू0 5589=00 असमायोजित :–

वर्ष 01–02 से संबंधित यात्रा भत्ता भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि विपत्र सं0 –जे0 डी0 –11/01–02 द्वारा श्री जयनाथ राम, कार्यालय कर्मचारी को यात्रा भत्ता अग्रिम के रूप में रू0 5589=00 दि0 12.11.01 को भुगतान किया हुआ पाया गया। अंकेक्षण अवधि में भत्ता अग्रिम राशि रू0 5589=00 का समायोजन यात्रा भत्ता भुगतान पंजी में नही पाया गया तथा यात्रा भत्ता कार्यालय प्रति इस राशि की समायोजन से संबंधित जाँच हेतु उपलब्ध नही कराया गया। फलस्वरूप अंकेक्षण को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अग्रिम राशि की जाँच में उक्त कर्मचारी को भुगत्तीत राशि रू0 5589=00 का समायोजन किया हुआ अंकेक्षण अवधि में लंबित पाया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि प्रशासी विभाग द्वारा आगे के वर्षो में उक्त या0 भ0 अग्रिम राशि के समायोजन किये जाने के संबंध में जाँच कर ली जाय अगर समायोजन आगे की वित्तीय वर्षो में भी समायोजन अभी तक लंबित हो तो इस भुगत्तीत अग्रिम राशि रू0 5589=00 को वसूल कर कोषागार में जमा करा दिया जाय तथ इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग,बिहार ,पटना को अवगत कराया जाय।

**12. रू0 2673=00 का अखबार एवं पत्रिका के क्रय पर व्यय राशि वसूली योग्य :–**

वर्ष 04–05 कार्यालय आकस्मिकतामद की अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि कुल रू0 2673=00 का अखबार एवं पत्रिका का क्रय आकस्मिक निधि से किया गया था। वित्त विभागा के परिपत्र 6658–416175 एवं 7848 दि0 01.08.75 के द्वारा जून 75 के बाद सरकारी कार्यालयों में अखबार एवं पत्रिकायों के क्रय पर पूर्णतः रोक के बावजूद क्रय कर भुगतान किया गया। यह क्रय अनियमित एवं अमान्य हैं । क्रय किये गये अखबारों आदि के विपत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

| क्रमांक | वि0 सं0 / तिथि | अभि0 सं0 / तिथि | उपा0 सं0 / तिथि | भुगतान की राशि | भुगतान तिथि | अभियुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | जे0डी0 45 / 05.10.04 | पी0 भी0 09 / 25.10.04 | 57 / 30.09.04 | 91=00 | 25.10.04 | हिन्दुस्तान अखबार |
| 02 | जे0डी0 25 / 30.08.04 | पी0 भी0 06 / 15.09.04 | 48 / 31.07.04 | 165=50 | 15.9.04 | हिन्दुस्तान अखबार |
| 03 | जे0डी0 45 / 5.10.04 | पी0 भी0 09 / 25.10.04 | 58 / 31.07.04 | 101=50 | 25.10.04 | हिन्दु–टाईम |
| 04 | जे0डी0 22 / 06.07.04 | पी0 भी0 03 / 15.07.04 | 18 / 25.06.04 | 199=00 | 15.7.04 | हिन्दु–टाईम |
| 03 | जे0डी0 97 / 01.03.05 | पी0 भी0 14 / 14.03.05 | 129 / 12.02.05 | 545=00 | 14.03.05 | पत्रिका |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस0 डी0 12／ 15.06.04 | पी0 भी0 02／ 30.6.04 | 25／ 12.02.05 | 400=00 | 30.06.04 | पत्रिका |
| | एस0 डी0 12／ 15.06.04 | पी0 भी0 02／ 30.6.04 | 24／ 31.03.04 | 90=00 | 30.06.04 | पत्रिका |
| 04 | जे0डी0 97／ 01.03.05 | पी0 भी0 14／ 14.03.05 | 109／ 24.02.05 | 258=00 | 14.03.05 | पत्रिका |
| | एस0डी0 12／ 15.06.04 | पी0 भी0 02／ 30.06.04 | 23／ 31.03.04 | 101=50 | 30.06.04 | पत्रिका |
| | एस0 डी0 12／ 15.06.04 | पी0 भी0 02／ 30.06.04 | 22／ 31.03.04 | 381=00 | 30.06.04 | पत्रिका |
| 05 | एस0 डी0 41／ 04.10.04 | पी0 भी0 08／ 25.10.04 | 37／ 11.09.04 | 121=00 | 25.10.04 | पत्रिका |
| 06 | एस0 डी0 124／ | पी0 भी0 09／ 20.02.03 | 166／ 8.1.03 | 108=50 | 20.02.03 | हिन्दु—टाईम |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.01.03 | | | | | |
| 07 | एस0 डी0 124 / 30.01.03 | पी0 भी0 09 / 20.02.03 | 151 / 2.11.02 | 111=00 | 20.02.03 | हिन्दु–टाईम |

योग – 2676=00

इस प्रकार यह क्रय सरकारी आदेश के विरूद्ध है। यह राशि संबंधित एवं उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली योग्य है।

अतः रू0 2673=00 को संबंधित एवं उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूलकर कोषागार में जमा करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

**13. कार्यालय आकस्मिकता मद में व्यय राशि रू0 6614=00 का दुरूपयोग किये जाने के कारण आपत्ति अन्तर्गत :–**

कार्यालय आकस्मिकता मद में विपत्र सं0– जे0 डी0 /68,दि0 08.01.05 एवं अभि0 सं0 –पी0 भी0 –11 दि0 23.02.05 के अन्तर्गत विभिन्न उपाभिश्रवों के जाँचक्रम में ज्ञात हुआ कि सिमेंट ,ईट ,बालू एवं मजदूरी मद में कार्यालय भवन की मरम्मती हेतु भुगतान दिखाया गया था, विवरण निचे अंकित किया गया है। जबकि यह कार्यालय भवन किराये पर लिया गया था जिसका मासिक किराया प्रतिमाह 2700/= की दर से मकान मालिक श्री सुरेश कुमार सिंह को भुगतान किया जा रहा है। चुँकि यह कार्यालय एक नीजी मकान में संचालित है और किराये का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है अतएव मकान की मरम्मती एवं अन्य रखरखाव पर व्यय की जबाबदेही मकान मालिक पर ही होना चाहिए जबकि कार्यालय द्वारा मकानमालिक को लिखित एवं मौखिक रूप से मरम्मती हेतु सूचना देनी चाहिए था जो नही किया गया अंकेक्षण में मकान मालिक द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि इस भवन में कोई मरम्मती कार्य की सूचना मुझे नही है। मकान मरम्मती संबंधीत व्यय के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत्यादेश लेकर ही व्यय करना अनिवार्य था। इस प्रकार का कोई स्वीकृतादेश अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। फलस्वरूप नियमविरूद्ध कार्य पर व्यय राशि रू0 6614=00 का दुरूपयोग परिलक्षित होता है।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में सूचित किया गया कि मकान मालिक को सूचित किया गया था किंतु कोई कारवाई नही किया गया। परंतु मकान मालिक ने किसी भी सूचना से अंकेक्षण के समक्ष अनभिज्ञता प्रकट की और मरम्मती कार्य से अनभिज्ञता प्रकट किया गया।

फलस्वरूप अंकेक्षण में स्पष्ट हुआ कि यह मरम्मती कार्य निय विरूद्ध है,एवं अनियमित व्यय राशि रू0 6614=00 का दुरूपयोग किया गया। अतः प्रशासी विभाग द्वारा अपने स्तर से वास्तविकता की जाँच कर ली जाय तथा अनियमितता पाये जाने पर नियम विरूद्ध दुरूपयोगित उक्त व्यय राशि रू0 6614=00 का संबंधित उतरदायी एवं दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को सूचित किया जाय। **विवरण निम्न प्रकार है–**

| क्रमांक | अपभि0सं0 / तिथि | प्रतिष्ठान का विवरण | समान | मात्रा | दर | भुग0 राशि | अभियुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 / 02.11.04 | जयशंकर जी इंटरप्राइजेज,आरा | सिमेंट | 03 बोरा | 145.00 | 435.00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 2 | 77 / 02.11.00 | स्वस्तिक हार्डवेयर,आरा | ईट | 250 पीस | 2000 /= प्रतिहजार | 500.00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 3 | 79 / 03.11.04 | स्वस्तिक हार्डवेयर,आरा | ईट | 250 पीस | 2000 /= प्रतिहजार | 500.00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 4 | 80 / 03.11.04 | पेंटिगं आदि | – | – | – | 490.00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 5 | 81 / 03.11.04 | पेंटिगं आदि | – | – | – | 490.00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 6 | 82 / 03.11.04 | मजदूरी | – | – | – | 490.00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 7 | 83 / 03.11.04 | बालू | बालू | – | – | 430.00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 84 / 04.11.04 | जयशंकर जी इंटरप्राइजेज,आरा | सिमेंट | 03 बोरा | 145 / = | 435. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 9 | 85 / 04.11.04 | स्वस्तिक हार्डवेयर,आरा | ईट | 250 पीस | 2000 / = | 500. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 10 | 86 / 04.11.04 | मजदूरी | — | — | — | 490. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 11 | 89 / 05.11.04 | स्वस्तिक हार्डवेयर,आरा | ईट | 250 पीस | 2000 / = | 500. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 12 | 90 / 05.11.04 | मजदूरी | — | — | — | 490. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 13 | 91 / 06.11.04 | जयशंकर जी इंटरप्राइजेज,आरा | सिमेंट | 02 बोरा | 148 / = | 296. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 14 | 92 / 06.11.04 | मजदूरी | सिमेंट | 02 बोरा | 148 / = | 420. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |
| 15 | 93 / 06.11.04 | जयशंकर जी इंटरप्राइजेज,आरा | सिमेंट | 01 बोरा | 148 / = | 148. 00 | भंडार प्रविष्टी नहीं पाई गई |

योग — 6614=00

**14. बकाया मँहगाई भत्ता मद में भुगत्तीत राशि रू0 820=00 आपत्ति अन्तर्गत :–**

एस0 डी0 वेतन भुगतान पंजी वर्ष 02–03 के जाँचक्रम में पाया गया कि श्री महेश प्रसाद, लिपिक,12,बिहार बटा0, एन0 सी0 सी0 कार्यालय समस्तीपुर से स्थानान्तरण के फलस्वरूप इस कार्यलय में दि0 03.08.02 को योगदान किये तथा अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एल पी0सी0) के अनुसार जून 03 के वेतन का भुगतान समस्तीपुर में ही किया गया था जिसमें 45 प्रतिशत मँहगाई भत्ता का भुगतान उन्हें किया गया है। इस कार्यालय के विपत्र सं0 –115 / 02–03 द्वारा 45 प्रतिशत बकाया मँहगाई भत्ता का (माह जुलाई 01से 30.4.02 तक) भुगतान दि0 20.02.03 को कुल 10 माह के लिए कुल रू0 820=00 किया गया था। जबकि एल0 पी0 सी0 में समस्तीपुर कार्यालय में बकाया मँहगाई भत्ता का भुगतान हुआ या नही इसका कोई उल्लेख किया हुआ नही पाया गया अंकेक्षण के समक्ष बकाया मँहगाई भत्ता

पूर्व के स्थान पर 45 प्रतिशत की दर से किया गया या नही इस संबंध में कोई प्रमाण –पत्र कार्यालय द्वारा उपलब्ध नही कराया गया इसके बाबजूद इस कार्यालय द्वारा बिना प्रमाणपत्र के आये बकाया मँहगाई भत्ता का भुगतान किया जाना नियम के विपरीत है।

अंकेक्षण आपत्ती के आलोक में कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित व्यक्ति से वसूली की कारवाई हेतु पत्राचार कर सूचित किया जायगा।

अतः बकाया मँहगाई भत्ता मद में भुगतीत राशि रू0 820=00 को आपत्ती अन्तर्गत रखा जाता हैं तथा विभागीय पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से प्रमाणपत्र (निकासी नही किए ''नन ड्रवल प्रमाण पत्र) की जाँच कर ली जाय अनियमितता पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति से वसूली कर ली जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करा दी जाय तब तक उक्त भुगतीत राशि आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

**15. गाड़ी लाँग बुक में इंधन की मात्रा अंकित नही किये जाने के कारण इस पर व्यय राशि रू0 18,716=76 आपत्ती अर्न्तगत :–**

कार्यालय पोल अभिश्रवों से संबंधित गाड़ी लाँग बुक की जाँच में पाया गया कि कार्यालय के विभिन्न गाड़ियों के परिचालक वास्ते डीजल पेट्रोल एवं विविध लुब्रिकेन्टस पर व्यय दिखाया गया था परंतु गाड़ी लाँग बुक में गाड़ी परिचालन विवरण एवं इंधन खपत की मात्रा की प्रविष्टी उक्त तिथियों को नही पायी गयी। नियमतः गाड़ी परिचालन के स्थिति में संम्बंधित उपयोग करने वाले पदाधिकारी द्वारा परिचालन स्थान–समय एवं दूरी आदि का विवरण इंधन खपत की मात्रा का विवरण अंकित किया जाना चाहिए था एवं कार्यालय व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए था , जबकि लाँग बुक पर सत्यापन किया हुआ नही पाया गया इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर अंकित किया गया है–

फलस्वरूप लाँगबुक में प्रविष्टी नही होने के कारण इंघन खपत पर व्यय की गई उक्त राशि आपतीजनक प्रतीत होता है।

अतः विभागीय स्तर पर कुल रू0 18716=76 व्यय कर सामग्री (इंघन आदि) क्रय की गई सामग्री का उपयोग क्रय के उदेश्य हुआ था ,या उसका दुरूपयोग तो नहीं हुआ था। इस आधार पर जाँच कर ली जाय। किसी प्रकार की अनियमितत्ता पाये जाने पर दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति पर यथोचित कारवाई की जाय तथा की गई कार्यवाई से वित्त(अंकेक्षण)

विभाग बिहार पटना को अवगत कराय जाय तबतक रू0 18,716=76 के व्यय को आपत्ती अर्न्तगत रखा जाता है।

**16. क्रीत सामानों की भंडार प्रविष्टी नही होने के फलस्वरूप कुल व्यय राशि रू0 9987=00 आपत्ती अर्न्तगत :–**

कार्यालय आकस्मिकता मद के अभिश्रवों से भंडार पुस्त के साथ जाँच के क्रम में पाया गया कि बहुत से सामानों का क्रय अंकेक्षण अवधि में किया गया था लेकिन भंडार पुस्त से सत्यापन के क्रम में स्पष्ट हुआ कि बहुत सामानों की प्रविष्टी भंडार पुस्त में नही पाई गई । जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर उल्लेखित किया गया है।

विभागीय पत्र सं0 ए0 पी0 (1) 474/76/6280– वि0 अं0 दि0 21.9.76 एवं सं0 वि0 अं0 (गो0) 12–113/76–7354– वि0 अं0,पटना,दि0 25.11.1976 के अनुदेशों का उल्लंधन किया हुआ पाया गया । नियमों एवं प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख एवं प्रावधन बिहार वित्तीय नियमावली खंड –1 के अध्याय viii में किया गया है। जिसमें नियम 125,129,130,134,135से 138,140 तथा 143 से 151 बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टाँक एवं र्स्टोस को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी एक आवश्यक जबाबदेही है। सरकार के विचार से वित्तीय नियमावली के प्रावधानों को दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराना विभागाध्यक्षों की खास जिम्मेदारी है। र्स्टोस एवं भंडार पुस्त का भौतिक सत्यापन तो कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य ही करना है जैसा कि बिहार वित्तीय नियमावली खंड –1 के नियम 143 के अर्न्तगत प्रावधान है।

इसप्रकार जाँचक्रम में उपर्युक्त वर्णित विभागीय अनुदेशों एवं वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का कार्यालय द्वारा उल्लघन किया हुआ पाया गया।

इसलिए कार्यालय आकस्मिकता मद में क्रीत सामानों की भंडार प्रविष्टो ,भंडार पंजी में नही पाये जाने के कारण कुल व्ययगत राशि रू0 9987=00 की अनियमित था।

अतः विभागीय स्तर पर कुल रू0 9987=00 का व्यय कर सामग्री क्रय की गई ,सामग्री का उपयोग क्रय के उदेश्य में हुआ था या उसका दुरूपयोग तो नही किया गया था। इस आधार पर आवश्यक नियमानुकूल जाँच कर ली जाय। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति पर यथोचित कारवाई की जाय तथा की गई कारवाई से

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाय। तबतक आकस्मिकता मद में व्ययगत राशि रू0 9987=00 को आपत्ती अर्न्तगत रखा जाता है।

विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न –

**17. जेनरेटर के इंधन मद पर व्ययगत्त राशि रू0 3661=94 आपत्ति अन्तर्गत :–**

कार्यालय आकस्मिकता मद अन्तर्गत विभिन्न अभिश्रवों के जाँच क्रम में ज्ञात हुआ कि इस कार्यालय द्वारा संचालित जेनरेटर में इंधन डीजल मद पर व्यय दिखाया गया था इस संम्बघ में अंकेक्षण में जाँच हेतु जेनरेटर लॉग बुक,इतिहास पंजी की माँग लिखित एंव मौखिक रूप से की गई परंतु उपलब्ध नही कराया गया फलस्वरूप अंकेक्षण में यह ज्ञात नही हो सका कि जेनरेटर का संचालन समय क्या था और कितना इंधन का मासिक खपत हुआ। बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958,नियम 80ए (1) का व्ययन पदाधिकारी द्वारा उल्लधन किये जाने से वित्तीय 143,144 एवं 145 का पालन नही किया गया फलतः लॉग बुक का संधारण कार्यालय द्वारा किया हुआ नही पाया गया। अतः इंधन खपत एवं समय का सत्यापित लेखा का व्यौरा उपलब्ध नही हो सका।

इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट 'ङ'' पर उल्लेखित है।

इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ती के आलोक में सूचित किया गया कि जेनरेटर लॉग बुक संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।

अतः आकस्मिकता मद में इंघन मद में व्यय राशि रू0 3661=94 से संबंधित जेनरेटर लॉग बुक को अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त व्यय राशि आपत्ति आन्तर्गत रखा जाता है। साथ ही विभागीय उच्चाधिकारयों का ध्यान विशेष रूप से इस अनियमितता को जाँच हेतु आकृष्ट किया जाता है। अगर जाँच में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो अपने स्तर पर कारवाई करते हुए इस संबंध में इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार–पटना को दी जाय तबतक उक्त व्यय राशि रू0 3661=94 को आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

**18. इंघन मद में व्ययगत राशि रू0 13699=00 आपत्ति अन्तर्गत :–**

पोल आकस्मिकता मद की अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि विभिन्न अभिश्रवों के माध्यम से इंधन मद में पेट्रोल का क्रय कर संबंधित नियोगी एण्ड कम्पनी रमनारोड आरा को

भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में प्रस्तुत प्रमाणक मौलिक अर्थात मुद्रित फारम में मूल रूप में हो तथा नियमानुसार पारित किया गया हो परंतु जाँच में फोटोकॉपी पर व्ययन पदाधिकारी द्वारा अभिश्रव को पारित किया गया एवं संबंधित फर्म को भुगतान किया हुआ पाया गया। इसप्रकार फोटो कॉपी पर इंधन मद में कुल व्ययगत राशि रू0 13699=00 का भुगतान किया हुआ पाया गया जो आपत्तीजनक है। सक्षम पदाधिकारी का स्वीकृतयादेश भी क्रय के संबंध में अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया जाना आपत्तीजनक है। बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृतयादेश लिए एक मुश्त इतनी बड़ी राशि का व्यय करना नियम विरूद्ध है तथा गाड़ी लॉग बुक में भी उक्त इंधन की मात्रा की प्रविष्टी नही पाया जाना संदेहास्पद एवं आपत्तीजनक प्रतीत होता है।

भारत सरकार लेखा एवं अंकेक्षण परिचय के कंडिका 239,240 एवं 251 में वर्णित नियमों के प्रतिकूल पाया गया एवं बिहार वित्तीय नियमावली के नियम –132 के विरूद्ध है।

**विवरण इसप्रकार है–**

| क्र0 | वि0सं0 / तिथि | अभि0 सं0 / तिथि | उपा0सं0 / तिथि | मद | मात्रा | दर | भुग0 राशि | भुग0 तिथि | अभि0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जे0डी0 120 / 22.1.04 | पोल 08 / 26.02.04 | 18 / 19.01.04 | पेट्रोल | 366 ली0 | 35=49 | 12,989=34 | 26.02.04 | नियोगी एड कं0 आरा तथा लॉग बुक में प्रविष्टी नही है। |
| 2 | एसडी0 125 / 03.02.04 | पोल 09 / 20.02.04 | 49 / 03.02.04 | पेट्रोल | 20 ली0 | 35=49 | 709=80 | 20.02.04 | नियोगी एड कं0 आरा तथा लॉग बुक में प्रविष्टी नही है। |

कुल योग – 13699=14

अतः विभागीय स्तर पर कुल रू0 13699=00 का व्यय कर इंघन क्रय की गई, इंघन का उपयोग क्रय के उदेश्य में हुआ था, या उसका दुरूपयोग तो नही हुआ था। मूल प्रमाणक की उपलब्धता सुनिश्यित कराकर नियमानुकूल अपने स्तर से जाँच कर ली जाय। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित उतरदायी एवं दोषी व्यक्ति पर यथोचित

कारवाई की जाय एवं की गई कारवाई से वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार–पटना को अवगत कराया जाय तबतक रू0 13699=00 के व्यय को आपत्ती अन्तर्गत रखा जाता है।

**19. जलपान मद में अनियमित भुगतीत कुल राशि रू0 8932=00 आपत्ती अर्न्तगत :–**

(क) जलापान (Refreshment) मद से संबंधित अभिश्राव की जाँच में ज्ञात हुआ कि महारजा कॉलेज आरा के परेड के लिए आपूर्त्तिकर्त्ता को वि0 सं0 – Ref /06/31.03.02 द्वारा कुल रू0 14,029=00 दि0 31.03.02 को भुगतान किया गया था। उक्त भुगतीत राशि में से रू0 3118=00 अक्टूबर 01 में परेड के लिए आपूत्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया था । जबकि एन0 सी0 सी0 कार्यालय के अनुसार ज्ञात हुआ कि मई एवं अक्टूबर माह में परेड का आयोजन नहीं किया जाता हैं । अक्टूबर माह में परेड आयोजन संबंधित सक्षमपदाधिकारी का कोई विशेष स्वीकृतयादेश अंकेक्षण में माँग करने पर भी प्रस्तूत नही किया जा सका विशेष परिस्थिति में परेड आयोजन करना आवश्यक था तो सक्षमपदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में ही परेड पर जलपान मद में आपूत्तिकर्त्ता को अक्टूबर माह का रू0 3118=00 भुगतान करना जायज था अन्यथा यह भुगतान जायज नहीं था।

पुनः इसी राशि में से रू0 2172=00 का भुगतान नबम्बर 01 माह के परेड के लिय किया हुआ पाया गया। नियमतः साधरणतया एक दिन में तीन पीरियड ही परेड का आयोजन किया जाता है। जिसके लिए प्रति पीरियड 2=00 की दर से कुल 2X3 =6 रू0 प्रतिदिन प्रति कैडेट की दर से जलपान मद के लिए भुगतान किया जाता है। जबकि नब0 01 माह में दि0 05.11.01 और 25.11.01 को परेड का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिदिन प्रतिकैडर 12=00 की दर से जलापन मद में भुगतान किया हुआ पाया गया। इसप्रकार दुगूने दर पर भुगतान किये जाने से 2172=00 का अनियमित भुगतान जलापान मद में किया हुआ पाया गया विशष परेड के लिए कोई सक्षम पदाधिकारी का निर्गत आदेश उपलब्ध नही कराया गया ।

अतः अक्टूबर एवं नबम्बर 01 माह के लिय भुगतान की गई राशि क्रमशः रू0 3118=00 +2172=00 कुल राशि रू0 5290=00 का अनियमित भुगतान किया हुआ पाया गया।

(ख) जलपान अभि0 की जाँच में पाया गया कि वि0 सं0 –Ref-05/31.03.02 द्वारा दि0 31.03.02 को संजय गाँधी महाविद्यालय, आरा में विभिन्न माहों में परेड के आयोजन में आपूर्त्ति किये गये जलपान के लिए कुल रू0 13,825=00 का भुगतान आपूर्त्तिकर्त्ता सागर साह को किया गया था।

इस कुल राशि में से माह नबम्वर 01 का अभिश्रव रू0 3642=00 का है। नबम्वर माह में अभिश्रव में विभिन्न तिथियो के लिए जलापान का भुगतान किया गया परंतु अभिश्रव में कही भी परेड की तिथि का अंकण एवं छात्रो की उपस्थिति विवरणी भी संलग्न किया हुआ नही पाया गया जिस कारण अंकेक्षण को यह पता नही चल सका कि किन तिथियों को परेड का आयोजन किया गया था। अतः नबम्वर माह के लिए भुगतान की गई राशि रू0 3642=00 अनियमित प्रतीत होता है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि जलपान मद में अनियमित भुगतीत राशि रू0 क +ख (अर्थात 5290=00+3642=00) कुल रू0 8932=00 को विभागीय स्तर पर उर्पयुक्त तथ्यों के आधार पर सत्यता की जाँच नियमानुसार कर ली जाय। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति पर यथोचित कारवाई की जाय तथा की गयी कारवाई से वित्त(अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाय। तबतक जलपान मद में अनियमित भुगतीत कुल राशि रू0 8932=00 आपत्ति अर्न्तगत रखा जाता है।

## भाग –II

### 20. सामान्य अभ्युक्तियाँ :–

(i) ''टेलीफोन लॉग बुक का संधारण नही किये जाने के संबंध में''।

05,बिहार बटालियन ,एन0 सी0 सी0 कार्यालय आरा को टेलिफोन मे :– 24364 से संबंधित दुरसंचार विभाग द्वारा प्रेषित विपत्रों के आधार पर वर्ष 01–02 से 04–05 में भुगत्तीत राशि की सत्यता की जाँच एवं जनहित में कार्यालय द्वारा टेलिफोन लॉग बुक का संधारण किया हुआ नही पाया गया जो अनियमितत्ता का धोतक है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि टेलिफोन मद पर व्ययगत राशि की जाँच हेतु नियमानुकूल विधि सभ्भत टेलिफोन लॉग बुक का संधारण किया जाय तथा इस पंजी का मासिक सत्यापन व्ययन पदाधिकारी से करा लिया जाय। एवं इस संर्दभ में अंकेक्षण का सुझाव है कि प्रशासी

विभाग अपना नीजी ध्यान देते हुए टेलिफोन लॉंग बुक पंजी का संधारण कार्यालय से कराया जाय।

(ii) '' जेनरेटर '' लॉंगबुक का संधारण कार्यालय द्वारा नहीं किया जाना आपत्ती जनक। –

अंकेक्षण में जेनरेटर संचालन पर इंघन एवं मरम्मती मद में व्यय राशि की जाँच हेतु कार्यालय द्वारा जेनरेटर लॉंग बुक एवं इतिहास पंजी का सत्यापन व्ययन पदाधिकारी से कराया जाय।

अतः प्रशासी विभाग अपना नीजी ध्यान देते हुए जेनरेटर लॉंग बुक सत्यापित पंजी एवं इतिहास पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक कराया जाय।

(iii) ''भंडार पुस्त स्थायी एवं अस्थायी '' का संधारण नियमानुकूल नहीं किया जाना आपत्तीजनक –

अंकेक्षण में भंडार पुस्त के सत्यापन में बिहार वित्तीय नियमावली खंड –1 के अध्याय viii में वर्णित नियमों एवं प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख एवं प्रावधन किया गया है जिसमें नियम –125,129,130,134,135 से 138 ,140 तथा 143 से 151 बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका उल्लंधन किया गया है तथा अनुपालन किया हुआ नहीं पाया गया। सरकार के विचार से वित्तीय नियमावली के प्रावधानों को दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराना विभागाध्यक्षों की खास जिम्मेदारी है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि भंडार पंजी का संधारण नियमानुकूल कराकर वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(iv) कोषागार संहिता के नियम –300 का पालन अवश्य किया जाय तथा रोकड़ पुस्त में लिप्त लेखन नहीं किया जाय।

(v) कार्यालय आकस्मिकता मद में प्राप्त राशि का अनावश्यक व्यय पर रोक लगाया जाय तथा मितव्ययिता पर ध्यान दिया जाय। बिहार वित्तीय नियमावली खंड–1 नियम 8/11,9,10 एवं 11 नियम 9ii) ''सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति बिना कोई व्यय नही किए जाय एवं कोई व्यय बजट उपबंध अन्तर्गत किया जाय। अतः प्रशासी विभाग इन नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक कर्यालय द्वारा कराया जाय।

(vi) बिहार कोषागार भाग–1 के नियम 306 ए के अनुसार नियंत्रण पदाधिकारियों को अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार कराना चाहिए

किन्तु अंकेक्षण में निरिक्षण पदाधिकारी को कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही कराया गया। अतः उक्त नियम का पालन अवश्य कराया जाय।

(vii) निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम –305,305 ए0 एवं 306 का अनुपालन किये जाने के संबंध में अंकेक्षण का आवश्यक सुझाव।

**<u>मिलान एवं जाँच कर्त्ता का हस्ताक्षर :–</u>**

(1)

(2)

लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार,पटना

,

**परिशिष्ट ''क'' (कंडिका –1 (ट) दृष्टव्य)**

**वर्ष 2001–02 से 04–5 तक**

**अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–**

**प्रस्तुत अभिलेख :–**

1. रोकड़ पुस्त
2. एस0 डी0 वेतन भुगतान पंजी।
3. जे0 डी0 वेतन भुगतान पंजी।
4. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी।
5. यात्रा भत्ता कार्यालय प्रति।
6. मनदेय भुगतान पंजी।
7. आकस्मिक व्यय पंजी।
8. कार्या आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिश्रव।
9. पोल(इंघन मद) व्यय से संबंधित अभिश्रव।
10. टेलिफोन व्यय से संबंधित अभिश्रव।
11. म्कान किराया व्यय से संबंधित अभिश्रव।
12. रिफ्रेशमेंट किराय व्यय से संबंधित अभिश्रव।
13. भंडार पंजी स्थायी व्यय से संबंधित अभिश्रव।
14. गाड़ी लॉंग बुक व्यय से संबंधित अभिश्रव।

**अप्रस्तुत अभिलेख :–**

1. कैप (cad.camp) प्रशिक्षण से संबंधित आक0 अभिश्रव एवं संबद्ध अभिलेख।
2. टी0 ए0 /डी0ए0 (अग्रिम) अभिश्रव कैडेटों से संबंधित।
3. रेवा पुस्त एवं संबद्ध संचिका।
4. अस्थायी भंडार पंजी।
5. गाड़ी इतिहास पंजी।
6. जेनरेटर इतिहास पंजी एवं लॉंग बुक।
7. टेलिफोन लॉंग बुक।